

28-10-2020 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष कार्यकर्ता उपस्थित
 दोनों पक्षों भी एडिस सुनी गयी पत्रावली वास्ते
 निर्णय दिनांक 3-11-2020को पेश हो। Om

Om
Om

3-11-2020
 प्र.स.
 90/2020
 2020/00141

पत्रावली पेश हुई प्रकार से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
 शर्तों पर कर्तव्य द्वारा 212 R.T.I स्वीकार किया
 जाता है. विपक्षीयों के विरुद्ध इस आशय की
 अस्थाभी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलकांड
 के निर्णय तक शर्तीयों के खातेदारी एवं कर्ज
 कास्ट की गणम कोर्ट से दर्ज ख. नं. 1059 से 1061,
 1063 से 1065, 1074, 1075, 2576, 2581, 2582
 2583, 2583 कुल फिता 13 खका 2.04 है
 व ख. नं. 1062, 1066, 1067, 1069, 1070, 1071
 1072, 1073, फिता 08 खका 1.04 है. प्रार्थी के
 शर्तीयों के विरुद्ध तक उपरोक्त उपभोग में
 व्याधा उत्पन्न नहीं करे न कानून से कराव
 रेकार्ड एवं नोटों की प्रथा स्थिति तापे सत्ता
 मूलकांड के अन्तर्गत रहे। पत्रावली पेश
 शुमार होकर तब से काम हो।



Om
 3/11/2020
 (सुन्दरलाल वाकोडा)
 R.A.S.

सहायक कलक्टर (पत्रावली अधिकारी)
 रायपुर (भीलवाडा).

